

2

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ (राज0)
विजय कुमार बनाम गायत्री आदि

किस्म मुकदमा 212 आर.टी.ए.

मु.न. 100 / 2024


हुकम कार्यवाही विवरण

31/24

पत्रावली नियत निर्णय पर आज पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता प्रार्थी दिनांक 29.04.24 को एक पक्षीय सुना जाकर चक 25 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 27/17 तादादी 4.0870 है। मय रास्ता कुल 4.137 है। खातेदार कृष्ण पुत्र श्रीराम के नाम दर्ज हिस्सा भूमि पर इस न्यायालय द्वारा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का अस्थाई व्यादेश पारीत किया गया, तलबी उपरांत अप्रार्थिया सं. 4 ता 7 जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पेश किया। बहस उभय पक्ष में प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किये कि प्रार्थी के दादा कृष्ण पुत्र श्रीराम को अपने पिता श्रीराम से उक्त भूमि पैतृक प्राप्त हुई है, जिसमें प्रार्थी का जन्मतः अधिकार है। अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व मुत्तकिल कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी। इसलिए जारी अस्थाई व्यादेश को ताफैसला कन्फर्म किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 ता 7 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड को स्वीकार करते हुए, प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों पर एतराज जाहिर कर कथन किया कि प्रार्थी ने जानबूझकर बदनियति से सही स्थिति एवं वसीयत को छिपाते हुए मिथ्या आधारों पर वादपत्र व इसके संलग्न आवेदन पत्र पेश किया है। यह भी कथन किया कि कुल तादादी 4.137 है। भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का हिस्सा 1.379 है। बनता है व इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 4 मीरा का उक्त वर्णित भूमि में 1.379 है। व अप्रार्थी सं. 5 ता 7 का 1.379 है। हिस्सा बनता है। इसी अनुसार नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 4, अप्रार्थी सं. 5 ता 7 की माता ने कभी भी प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पक्ष में हिस्सा मौखिक तर्क नहीं किया है। इसलिए जारी अस्थाई निशेधाज्ञा प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

» प्रार्थी पक्ष व अप्रार्थी सं 4 ता 7 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन किया गया। पत्रावली में खातेदार कृष्ण पुत्र श्रीराम व रामप्यारी पत्नी कृष्ण का मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हक व हिस्सा मूल वाद में तय होने है, उभय पक्ष अपने हक व हिस्से को लेकर प्रभावी पैरवी कर सकते है। उपर्युक्त तथ्यों के इतर, यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जब किसी हिन्दू व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति की सम्पत्ति को उसके उत्तराधिकारियों, परिजनों या सम्बन्धियों में कानूनी रूप से विभाजित किया जायेगा। मृतक खातेदार के वारिसान को विरास्तन नामान्तरण खुलवाने से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर जारी अस्थाई व्यादेश दिनांक 29.04.2024 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। व्यादेश खुले न्यायालय में सुना गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जागी है।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ